न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-301RAAJodhpur2024-119RTA223 Shivsingh ors Vs Bhanwarkanwar etc

1. शिवसिंह पुत्र श्री गायडसिंह
2. आईदानसिंह पुत्र श्री गायड़सिंह
3. नेनकंवर पत्नी गायड़सिंह
4. सीतुकंवर पुत्री गायड़सिंह
5. हीरकंवर पुत्री गायड़सिंह
6. प्रेमकंवर पुत्री गायड़सिह
7. बिरज कंवर पुत्री गायड़सिंह

सभी जातियान राजपूत, निवासीगण बारा कलां, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भंवरकंवर पत्नी दूलसिंह
2. आईदानसिंह पुत्र दूलसिंह
3. मांगूकंवर पुत्री दूलसिंह

जातियान राजपुत, निवासीगण डांवरा, तहसील बावडी, जिला जोधपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसिया जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 23/2023 गायड़सिंह फौत के कायम मुकाम व अन्य बनाम दुलसिंह फौत क कायम मुकाम इत्यादि

उपस्थित–

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

नि र्ण य

दिनांक : 02 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2023 अनवान गायड़सिंह फौत के कायम मुकाम व अन्य बनाम दुलसिंह फौत के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 जुलाई 2024 के खिलाफ

अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 05 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि गांव बारा कलां, तहसील औसिया के खेत खसरा नं0 121 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नं0 118 रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में धारा 88, 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वाद का खण्डन किया गया तथा काउंटर क्लेम मुताबिक वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाबदावा मय काउंटर क्लेम के आधार मामले में तनकीयात कायम किये गये तथा उभय पक्ष से साक्ष्य ली गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत दिनांक 22 जुलाई 2024 को वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कांउटर क्लेम को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी गायड़सिंह मूल खातेदार मूलसिंह का पुत्र था जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है एवं मूलसिंह का सन् 1954 में स्वर्गवास हो गया। उनके द्वारा कभी भी कोई बेचान प्रतिवादी दूलसिंह के पक्ष में नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने केवल गिरदावरी के फोटो प्रतिया पेश की। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से यह प्रार्थना की गई की मूल गिरदावरी तलब की जावे जिसके अवलोकन मात्र से स्पष्ट था कि गिरदावरी में भारी कांट–छांट, अलग स्याही से उसी पटवारी द्वारा की गई है, जिसने नामान्तरकरण संख्या 36 भरा था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उस ओर कोई ध्यान ही नही दिया । अधिनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं जबानी शहादत को पूर्णरूप से नजर अंदाज कर दिया एवं उनका गलत अर्थ भी निकाल दिया अन्यथा वाद बिन्दू संख्या एक, दो व तीन वादी के पक्ष में निर्णित किया जाना चाहिये था। विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का न तो कभी कब्जा रहा एवं न कभी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्त रहा है, बल्कि कब्जा काश्त केवल वादीगण का ही प्रारम्भ से रहा है। इस कारण प्रतिवादी के पक्ष में कोई डिक्री जारी ही नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी का काउंटर क्लेम बिना किसी आधार के स्वीकार कर उसे खातेदार घोषित करने का कोई अधिकार नही है, क्योकि प्रतिवादी के पक्ष में कोई बेचान कभी हुआ ही नही एवं न प्रतिवादी द्वारा तथाकथित बेचान को पत्रावली पर पेश किया है, इतना ही नही ऐसे बेचाननामें से खातेदारी अधिकारो की कोई घोषणा भी नही की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी की प्लीडिंग से हटकर उनका काउंटर क्लेम डिक्री किया है। काउंटर क्लेम में केवल स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की गई है, खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु कोई प्रार्थना ही नही थी। इतना ही नही ऐसा कोई वाद बिन्दू भी कायम नही किया था। केवल निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद बिन्दू कायम किया गया। इस प्रकार बिना वाद कथनो एवं बिना वाद बिन्दूओ के इस तरह का निर्णय दिया ही नही जा सकता । विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के निर्णयो का उल्लेख किया है, परन्तु यह नहीं लिखा कि उन निर्णयो में क्या निर्णित किया गया है, जबकि उक्त निर्णयो में केवल यह तय किया गया कि चूंकि इसी भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन है एवं उस वाद में होने वाले निर्णय के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जावेंगे। ऐसा करने के पीछे उन माननीय न्यायालयो का एक ही उद्देश्य था कि वाद बाहुल्य से बचा जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने उन निर्णयों को पढा ही नहीं, केवल उनका गलत अर्थ निकाला है। अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने कोई भी मूल दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश ही नही किया, इतना ही नही तथाकथित बेचाननामा जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 36 स्वीकार किया गया, वह भी न्यायालय की पत्रावली पर पेश नही किया। इन परिस्थितियो में प्रतिवादी का काउंटर क्लेम डिक्री करने का कोई आधार ही नही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की खुल्ली अवहेलना है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 जुलाई 2024 को खारिज किया जाकर माफिक अनुतोष वादी/अपीलांट्स का वाद स्वीकार किय जाने का निवेदन किया।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की जरिये बेचान स्टाम्प रूपये 99/– के जरिये खरीदसुदा भूमि है। वक्त खरीद रेस्पोडेंट्स के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 36 स्वीकृत किया गया तथा वक्त खरीद सन् 1964 से ही रेस्पोडेंट्स का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है, जिसकी पुष्टि वादग्रस्त आराजी की गिरदावरियों से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले विरचित तनकीयात अपना निष्कर्ष पारित करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। इस कारण से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई तथ्यात्मक व वैधानिक गलती नहीं होने के कारण अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी.2013(2) पेज 1096, आर.आर.डी.1992 पेज 648, आर. आर.डी. 1992 पेज 29, आर.आर.डी. 1989 पेज 774 की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ससम्मान प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया। मामले का तनकी वार विवेचन निम्नानुसार है:–

01. **आया ग्राम बारा कलां का म्यूटेशन नंबर 36 दिनांक 09.03.1964 का कोई आधार नहीं होने से निरस्त किया जाकर डिक्री किया जावे।**

जिम्मे वादी.....

02. **वादग्रस्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे।**

जिम्मे वादी.....

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दोनो तनकी की समान विषय–वस्तु की होने से उक्त दोनो तनकी पर एक साथ विवेचन किया जा रहा है। उक्त दोनो तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पर्चा खतौनी गांव बारा कलां, परगना जोधपुर संवतः 2005–06 सन् 1949–50 **प्रदर्श:3ए** के मुताबिक वक्त जागीरकाल वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 118 एवं 121 का पर्चा खातेदार मूलसिंह वल्द सबलसिंह कौम राजपूत के नाम से जारी किया गया था। तत्पश्चात वक्त सेटलमेंट जारी प्रथम जमाबंदी सवतः 2011–30 प्रदर्श–4ए के मुताबिक वादग्रस्त आराजी मूलसिंह पुत्र सबलसिंह की खातेदारी में दर्ज की गई जो एवं जमाबंदी संवतः2019 से 2022 प्रदर्श–5ए के मुताबिक संवतः 2022 तक मूलसिंह की खातेदारी में अनवरत दर्ज रही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–11ए जागीर कमिश्नर के आज्ञा पत्र दिनांक 15.03.1965 के अवलोकन से प्रकट होता है कि जागीर कमिश्नर द्वारा वादग्रस्त आराजी/जागीर को 15 वर्ष के लगान से मुक्त किया गया था। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्तआराजीयात की गिरदावरी सवतः 2012, 2019, 2020–2022 से भी प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स के पिता गायड़सिंह का बतौर खातेदार कब्जा काश्त रहा है तथा प्रतिवादी दूलसिंह के नाम इन्द्राज बतौर कृषक है। सवतःप्रदर्श–6ए नामांतरकरण संख्या 36 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त नामांतरकरण खातेदार मूलसिंह वल्द सबलसिंह द्वारा 99/–रूपये के स्टाम्प के जरिये वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी दूलसिंह को बेचान किये जाने पर उक्त बेचाननामा की पालना में स्वीकृत किया गया है। आर.आर.डी.1990 पेज 103 में माननीय मण्डल द्वारा धारित किया गया है कि अपंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर भूमि के हस्तांतरण को पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर बदला नहीं जा सकता है। अदालत हाजा इस बात पर सहमत है कि बेचान प्रतिफल राशि 100/– से कम होने के कारण उसे पंजीबद्ध करवाने की आवश्यकता ही नहीं है तथा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर भी 100/– से कम प्रतिफल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राशि की संपति का हस्तांतरण किया जा सकता है। हस्तगत मामले में अपंजीबद्ध दस्तावेज का अस्तित्व ही संदिग्ध है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त नामांतरकरण में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खातेदार मूलसिंह द्वारा किस तिथि को उक्त स्टाम्प लिखत निष्पादित की गई है तथा न ही प्रतिवादी दूलसिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त स्टाम्प लिखत को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाया गया है तथा न ही लिखत अपने पक्ष में निष्पादित करवाने की तिथि को स्पष्ट किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध खातेदार मूलसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र(विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 276 उपलब्ध) के मुताबिक खातेदार मूलसिंह दिनांक 05.04.1954 को फौत हो चुके थे। इतनी लंबी अवधि पश्चात अपंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण संख्या 36 स्वीकृत किया जाना सद्भाविक नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी पुष्ट/वैध दस्तावेज के अभाव में नामांतरकरण संख्या 36 समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। पी.डब्ल्यू–1 गायड़सिंह पुत्र मूलसिंह ने दौराने जिरह वादग्रस्त आराजी पर आज दिन तक अपीलांट्स का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। पी.डब्ल्यू–02 शिवसिंह पुत्र गायड़सिंह द्वारा भी अपनी जिरह में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त को नकारा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक व दो पर पारित मत से अदालत हाजा सहमत नहीं होने से तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

03. **खातेदार घोषित करने के बाद प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।**

जिम्मे वादी....

तनकी संख्या एक व दो वादीगण/अपीलांट्स के पक्ष में साबित होने तथा दौराने जिरह वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त साबित किये जाने से उक्त तनकी वादी/अपीलांट्स के पक्ष में साबित है। जहां तक प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत गिरदावरियों में संवतः 2022 के पश्चात प्रतिवादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होने का प्रश्न है। सामान्यतः जमाबंदी में दर्ज खातेदारान् के नाम से ही गिरदावरी तैयार की जाती है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा उक्त तनकी पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मत से सहमत नहीं होने से उक्त तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

04. **आया बेचान की तिथि से रेकर्ड व मौके के अनुसार कब्जा प्रतिवादी का होने से वाद खारिज किया जावे।**

जिम्मे प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी के जिम्मे रहा है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी दूलसिंह के नाम नामांतरकरण संख्या 36 के जरिये खातेदारी में दर्ज हुई है। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित अपंजीबद्ध दस्तावेज(99/–रूपये की स्टाम्प लिखत) को न तो विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया है तथा न ही प्रदर्शित करवाया है। नामांतरकरण संख्या 36 की विश्वसनीयता भी संदिग्ध है। प्रतिवादी द्वारा नामांतकरण की पालना में राजस्व रेकर्ड में हुए इन्द्राजों के बाद के दस्तावेज प्रस्तुत किये है। दौराने जिरह भी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी के कब्जे काश्त को नकारा गया है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी पर अदालत हाजा विचारण न्यायालय के मत से सहमति नहीं होने से उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

05. **आया प्रतिवादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा वादी के विरूद्ध जारी की जावे।**

जिम्मे प्रतिवादी

उपरोक्त निर्णित तनकीयात में वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त साबित नहीं है। कानूनन कब्जे काश्त के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। लिहाजा कब्जा काश्त साबित न होने के अभाव में उपरोक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी को नामांतरकरण संख्या 36 के जरिये वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए है। प्रतिवादी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपने पक्ष में निष्पादित अपंजीबद्ध बेचान दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही बेचान दस्तावेज की तिथि को स्पष्ट किया है। ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरकरण बिना किसी वैध दस्तावेज के आधार पर पारित होने तथा वादी/अपीलांट्स के हितों पर कुठाराघात करने वाला होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उलपब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विधिवत्त विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2023 अनवान गायड़सिंह फौत के कायम मुकाम व अन्य बनाम दुलसिंह फौत के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 जुलाई 2024 निरस्त किये जाते है। प्रतिवादी का कांउटर क्लेम खारिज किया जाता है एवं वादी का वाद माफिक अनुतोष साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा नामांतरकरण संख्या 36 दिनांक 09 मार्च 1964 खारिज किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 121 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 118 रकबा 49 बीघा 13 बिस्वा का वादी/अपीलांट्स को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कद्र पाबंद किया जाता है कि वे वादी/अपीलांट्स की खातेदारी खातेदारी भूमि में दखलंदाजी पैदा नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-301RAAJodhpur2024-119RTA223 Shivsingh ors Vs Bhanwarkanwar etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. शिवसिंह पुत्र श्री गायडसिंह 2. आईदानसिंह पुत्र श्री गायड़सिंह 3. नेनकंवर पत्नी गायड़सिंह 4. सीतुकंवर पुत्री गायड़सिंह 5. हीरकंवर पुत्री गायड़सिंह 6. प्रेमकंवर पुत्री गायड़सिह 7. बिरज कंवर पुत्री गायड़सिंह सभी जातियान राजपूत, निवासीगण बारा कलां, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. भंवरकंवर पत्नी दूलसिंह 2. आईदानसिंह पुत्र दूलसिंह 3. मांगूकंवर पुत्री दूलसिंह जातियान राजपुत, निवासीगण डांवरा, तहसील बावडी, जिल जोधपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार औसिया जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 23/2023 गायड़सिंह फौत के कायम मुकाम व अन्य बनाम दुलसिंह फौत क कायम मुकाम इत्यादि

यह अपील बतारीख 02 अप्रैल 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री गुलाबसिंह चंपावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स एवं श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ किअपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2023 अनवान गायड़सिंह फौत के कायम मुकाम व अन्य बनाम दुलसिंह फौत के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 जुलाई 2024 निरस्त किये जाते है। प्रतिवादी का कांउटर क्लेम खारिज किया जाता है एवं वादी का वाद माफिक अनुतोष साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा नामांतरकरण संख्या 36 दिनांक 09 मार्च 1964 खारिज किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 121 रकबा 19 बीघा 08 विस्वा, खसरा नंबर 118 रकबा 49 बीघा 13 विस्वा का वादी/अपीलांट्स को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कद्र पावंद किया जाता है कि वे वादी/अपीलांट्स की खातेदारी खातेदारी भूमि में दखलंदाजी पैदा नहीं करे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 01 अप्रैल 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बावत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर